

प्रेषक,

रमेश चन्द्र -पंचम्, एच0जे0एस0,
जनपद न्यायाधीश,
बदायूं ।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

पत्रांक: 636 /प्रथम, बदायूं, दिनांक: 20 फरवरी 2020

विषय: कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के विज्ञापन संख्या -15/39/2000-टी.सी.-2 का-4-2020 दिनांकित 29.01.2020 के सन्दर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

संदर्भित विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के विज्ञापन संख्या 715/39/2000-टी.सी.-2 का-4-2020 दिनांकित 29.01.2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के सदस्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति/चयन हेतु विज्ञापित -2020 द्वारा आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं । आनलाईन आवेदन सभित करने की अन्तिम तिथि 03.03.2020 है । मैं उक्त पद के लिये आवेदन करना चाहता हूँ जिसके लिये सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे पक्ष में अबिलम्ब अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें ताकि मैं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के विज्ञापन संख्या 715/39/2000-टी.सी.-2 का-4-2020 दिनांकित 29.01.2020 के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के सदस्य के रिक्त पद पर समय से अपना आनलाईन आवेदन/रजिस्ट्रेशन सभित कर सकूँ ।

ससम्मान ।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय

Ramesh Chandra
20/2/2020

(रमेश चन्द्र -पंचम्)
जनपद न्यायाधीश,
बदायूं

कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विज्ञापन संख्या-15/39/2000-टी.सी.-2-का-4-202

दिनांक 29-01-2020

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में सदस्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति/चयन हेतु विनिसि-2021

आनलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि 01-02-2020

आवेदन सबमिट करने की अन्तिम तिथि 03-03-2020 कार्मिक विभाग के विज्ञापन संख्या 15/39/2000-टी.सी.-2-का-4-2020 के अन्तर्गत सदस्य के रिक्त होने वाले पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त रिक्त होने वाले पदों के लिए आवेदन को केवल एक ही आवेदन सबमिट () करना है। भारत का अधिकांश के अनुच्छेद 315 के अनुसार प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्य में से यथोक्त नियुक्ति के अर्थ में व्यक्ति होंगे, जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं।

लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद धारित करने की तिथि से 06 वर्ष की अवधि तक अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो पहले हो अपना पद धारण करेगा।

भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा कर चुके आवेदक, जो कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी पद धारित कर चुके हों, उनके द्वारा आवेदन करते समय अपनी सेवा के अन्तिम 10 वर्षों में धारित पदों का विवरण अवधि सहित अर्जित किया जायेगा।

कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

आयु- सदस्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु इच्छुक आवेदक, जो विज्ञापन की तिथि को 62 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत आते हैं वे ही आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पदों की संख्या जिन पर चयन होना है- सदस्य के रिक्त पदों की कुल संख्या 03 है।

वेतन - सदस्य को शासन व आयोग द्वारा निर्धारित वेतन व भत्तों अनुसृत्य होंगे।

शुल्क- आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

आनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए आवश्यक सूचना-

इस विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु आनलाइन आवेदन पदति () लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक आनलाइन आवेदन ही करें।

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट www.niyuktionline.up.nic.in पर विज्ञापन विवरण () पर क्लिक करने पर आनलाइन एडवरटाइजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा।

यूजर इन्स्ट्रक्शन () में आवेदकों को आनलाइन आवेदन करने से संबंधित दिशा निर्देश दिये हैं। इसके बाद आवेदक यू एडवरटाइजमेंट () को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई () पर क्लिक करें। आनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्न प्रकार

होगा:-

अप्लाई क्लिक करने पर आवेदक पंजीकरण () का विकल्प आयेगा। उसे क्लिक करके का बेसिक रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होगा। फार्म भरने के पश्चात् सबमिट () बटन पर से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् एप्लीकेन्ट रजिस्ट्रेशन एक्नॉले त होगा, जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा।

आवेदक को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लीकेशन फार्म को क्लिक करके फार्म में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करेंगे। आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नवीनतम, आवश्यक तक पासपोर्ट साइज का फोटो (जो 03 माह से अधिक पुराना न हो) तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके 3 * 4 फोटोग्राफ (* * *) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 के0बी0 से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो हस्ताक्षरित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आनलाइन आवेदन सिस्टम पर रुक जाएगा।

आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरे जाने होंगे, अतः अनिवार्य कॉलम को छोड़कर जो बटन से संबंधित न हो या उसमें कोई सूचना भरा जाना अपेक्षित न हो उसमें " अंकित किया जा रहा है " आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद 'व्यू एप्लीकेशन फार्म' को क्लिक करके अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही भरी गयी हैं और पूरी प्रविष्टि होने के बाद आनलाइन आवेदन विभाग को प्रेषित करने हेतु सबमिट बटन को क्लिक करें।

यदि आवेदक द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जायेगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा। आवेदक का दायित्व आवेदक का होगा और इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करने के पश्चात् सलग्न किये जाने वाले अभिलेख अपलोड किये जायेंगे। तत्पश्चात् आवेदक भरे गये अपने आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट निकालकर सुरक्षित रखें।

आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। किसी विसंगत कार्य के लिए कार्मिक विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

एक बार आवेदन फाइनल सबमिट करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।

आवेदक द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य न पाये जाने पर आवेदक को विभाग की तरफ से प्रतिवारित () किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

हो के लिए सामान्य अनुदेश-

आवेदक अपने विवरण के साथ तीन प्रतियों में अनिवार्य रूप से यह अवश्य अंकित करेंगे कि किस आधार पर उक्त पद को विशिष्ट रूप से धारित करने के योग्य हैं।

हो आवेदक केन्द्र अथवा राज्य सरकार या अन्य किसी शासकीय/अशासकीय संस्था में सेवारत हो अपने प्रयोगकर्ता के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र भरना है।

स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
यु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्व प्रमाणित प्रति अपा
जाय।

भाग से सभी पत्राचार में पद का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, आवेदक का न
ता/पति का नाम व जन्मतिथि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

भाग आवेदकों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञा
सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें वि
ज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्हः हैं।

इसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लवि
ने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत क
था चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निर
रने तथा चयन से प्रतिवारित () करने का अधिकार कार्मिक विभाग को होगा।

आवेदक के अर्हः/अनर्हः होने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का निर्णय अन्ति
मा।

दि आवेदक को आनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो वे कार्यालय समय
कार्मिक विभाग के दूरभाष नम्बर 0522-2226228 पर अपनी कठिनाई/समस्या का हल पाप
कर सकते हैं।

आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि 03-03-2020 है।

सदस्य के रिक्त पदों हेतु पूर्व विज्ञापन संख्या-15/39/2000-टी.सी.-2-का-4-2019 दिनांक
28-09-2019 में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है, उन आवेदकों को इस विज्ञाप
में पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।